डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
मोहान रोड, लखनऊ 226 017 वेबसाइटः http://dsmru.up.nic.in

पत्रांक– 1367 फ0सं0 1163/डीएसएमएनआरयू/यू.जी.सी./2019–20 दिनांक–23 सितम्बर, 2019

सेवा में,

समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि विश्वविद्यालय में शोधरत् शोधार्थियों के फेलोशिप आवेदन को यू0जी0सी एवं केनरा बैंक के ऑनलाइन बेवपोर्टल पर अपलोड किया जाता है। ऑनलाइन बेवपोर्टल पर प्रविष्टि में प्रायः परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान में शोधार्थियों को जे0आर0एफ फेलोशिप को एस0आर0एफ फेलोशिप में यू0 जी0 सी0 द्वारा समय सीमा पूर्ण होने के उपरान्त स्वतः अपग्रेड किया जा रहा है। किन्तु जिन शोधार्थियों को विभाग द्वारा जे0आर0एफ फेलोशिप को एस0आर0एफ फेलोशिप उन्नयन नहीं किया गया उन्हें रोके जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त के साथ अवगत कराना है यू0 जी0 सी0 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गयी है जिसमें यू0जी0सी0 नई दिल्ली ने 30 सितम्बर, 2019 तक निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर लंबित पुराने मामलों को फीड/अपलोड करने का विकल्प दिया है। समय सीमा के भीतर ही बेव पोर्टल पर लंबित पुराने मामलों की प्रविष्टियां की जानी है। इसके उपरान्त लंबित पुराने मामलों को यू0जी सी0 द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उक्त के साथ अवगत कराना है कि शोधार्थियों को फेलोशिप प्रदान किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है–

1. शोधार्थी जेआरएफ के तहत फेलोशिप प्राप्त कर रहा है अथवा एसआरएफ के तहत इसका अंकन नोटशीट एवं संलग्नक पर अंकित करते हुए पत्रावली व्यवहरित की जाय।
2. शोधार्थियों को आकस्मिक मद में मिलने वाली धनराशि हेतु विभागीय स्तर पर बिलों का परीक्षण एवं क्रय की गयी सामग्रियों का अंकन स्टाक पंजिका में कराना, शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुत बिल/बाउचर को सत्यापित करते हुए विभाग में संरक्षित करने के उपरान्त ही यू0 जी0 सी0 के संलग्नक–05 पर विभागाध्यक्ष/शोधपर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षर करते यह सुनिश्चित किया जाय कि उपरोक्त प्रस्तुत बिल/बाउचर में अंकित धनराशि का व्यय उनके शोधकार्य हेतु ही किया गया है। भविष्य में यू0जी0सी0 नई दिल्ली द्वारा सत्यापन हेतु यदि निर्देशित किया जाता है तो विभाग द्वारा उक्त विलों को सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. विभाग में शोधरत शोधार्थियों का शोध कार्य समय सीमा के भीतर लम्बित प्रकरण को यू0जी0सी0 पोर्टल पर दिनांक– 30.09.2019 तक अपलोड किये जाने हेतु वांछित प्रक्रिया पूर्ण कर यू.जी.सी. प्रकोष्ठ को भेजना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते विभाग में शोधरत विद्यार्थियों की सूचनायें ससमय प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे सुगमता से शोधार्थियों की सूचनाएें ऑनलाइन बेव–पोर्टल पर अपलोड की जा सके।

संलग्नक– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गयी सार्वजनिक सूचना।

भवदीय,

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. माननीय कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय को सादर अवलोकनार्थ।
2. समन्यवक यू.जी.सी., विश्वविद्यालय।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, विश्वविद्यालय।
4. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

23.9.19

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110 002

मि.सं. 28-1 /2019 (बीएसआर-एफआरपी)

दिनांक: 04 अगस्त, 2019

सार्वजनिक सूचना

विषय: छात्रवृति के लंबित पुराने मामलों (Legacy Cases) का यूजीसी- केनरा बैंक के छात्रवृति पोर्टल पर प्रस्तुतिकरण

यूजीसी ने **30 सितम्बर, 2019** तक निर्दिष्ट वेब पोर्टल https://scholarship.canarabank.in/ पर लंबित पुराने मामलों (Legacy Cases) को फीड/ अपलोड करने का विकल्प संभव बनाया है। सभी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि दी गई समय-सीमा के भीतर पोर्टल पर लंबित पुराने मामलों (Legacy Cases) की प्रविष्टियाँ कर दी गई हैं।

यह नोट किया जाए कि पोर्टल **30.09.2019** के बाद लंबित पुराने मामलों (Legacy Cases) को स्वीकार नहीं करेगा।

नोट: लंबित पुराने मामले (Legacy Cases) उन लाभार्थियों के संदर्भ में हैं जिनके लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों/ संस्थानों के माध्यम से फेलोशिप/ छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था और लाभार्थी का कार्यकाल 01.07.2016 के बाद भी जारी है लेकिन उन्हें भुगतान नहीं हो पा रहा है।

(प्रो0 रजनीश जैन)
सचिव

Scanned by CamScanner